Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 29-08-2005
Participants : Malhotra Prof. Vijay Kumar,Sharma Shri Madan Lal,Patil Shri Shivraj V.,Patil Shri Shivraj V.

an>

Title : Need to provide financial assistance to the displaced families of Kashmiri Pandits in Jammu and Kashmir and steps taken by the Government in regard thereto.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): I call the attention of the Minister of Home affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> "The need to provide financial assistance to the displaced families of Kashmiri Pandits in Jammu and Kashmir and steps taken by the Government in this regard[snb1]."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Mr. Speaker Sir, terrorism in the State of Jammu and Kashmir during 1990's led to the migration of Kashmiris from the Valley to Jammu, Delhi and other States. There are 55,476 registered Kashmiri migrant families, out of which 34,088 families are residing in Jammu, 19,338 families in Delhi and 2050 families in other States. About 5778 families in Jammu and 230 families in Delhi are staying in Government managed camps which have been provided with facilities like water, electricity, sanitation, etc.

The Central and State Governments have taken all possible measures to ensure that the needy migrant families are provided with a reasonable level of sustenance and support. Monthly cash relief of Rs. 3000 per family and basic dry rations are being provided to 14,869 families in Jammu. In Delhi, 4100 families are being provided monthly cash relief of Rs. 3200 per family for non-camp migrants and Rs. 2400 per family alongwith basic dry rations for those living in camps. Other State Governments/UT Administrations, where the Kashmiri migrants have been staying, have been providing relief to migrants in accordance with the scales fixed by them.

An expenditure of about Rs. 50 crore is incurred annually towards providing cash assistance and rations to the migrants at Jammu. The total expenditure incurred for providing relief since 1990 is Rs. 586.37 crore. The expenditure is reimbursed to the State Government of Jammu and Kashmir by the Central Government under Security Related Expenditure. The expenditure for providing relief to the migrants at Delhi is borne by the Government of NCT of Delhi and is about Rs. 15 crore annually.

In addition to relief, the details of expenditure incurred since 1990 for providing infrastructural facilities in the migrant camps at Jammu are:

i) Civic amenities	-	Rs. 13.28 crore
ii) Grant for camps/schools	-	Rs. 59.20 crore
iii)Construction of One-room tenements	-	Rs. 20.15 crore
iv) Improvement in infrastructure	-	Rs. 5.49 crore
Total	-	Rs. 98.12 crore

The Government have directed all universities and the All India Council for Technical Education to ensure that educational concessions including extension in date of admission by about 30 days, relaxation in cut-off percentage upto 10 per cent subject to minimum eligibility requirement, increase in intake capacity upto 5 per cent course-wise, reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions and waiving of domicile requirements are extended to Kashmiri migrant students during the academic session 2005-06.

In order to enable safe and honourable return of migrants to their native places in the Valley, Government of India have approved, on an experimental basis, a project for Rs. 20 crore for construction of 200 two-bed room flats at Sheikpora, District Budgam. A grant of Rs. 10 crore has been provided to the State Government for the reconstruction and renovation of houses and shrines at Kheer Bhavani and Mattan[bru2].

The State Government have completed construction of 18 three-room flats at Mattan for temporary stay of Kashmiri migrants till they are able to return to their houses in the Valley, utilising an amount of Rs. 1.08 crore. At Kheer Bhavani, an expenditure of Rs. 7.70 crore has been incurred for construction of 100 one-room tenements and other facilities.

The hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji visited Jammu and Kashmir in November 2004 and announced a Reconstruction Plan of Rs. 24,000 crore for the State. The Plan includes initiatives for strengthening the economic and social infrastructure of the State with a thrust on employment and income generation in sectors like tourism, agriculture and food processing industries. The Plan also provides for the relief and rehabilitation of the migrant families by way of construction of two-room tenements for all families residing in the camps in the Jammu region and at Delhi. In accordance with the announcements of the hon. Prime Minister's Central Assistance of Rs. 32 crore and Rs. 30 crore under the State Plan have been provided during 2004-05 and 2005-06 respectively. In Delhi, 234 families have been allotted DDA flats at concessional rates.

The hon. Prime Minister also announced the constitution of an inter-ministerial team to prepare a rehabilitation plan for Kashmiri migrants, particularly to cover their developmental needs, especially those related to the living conditions in the camps, the means of livelihood, education, health and security of women.

The team has recommended various measures *inter alia* construction of two-room tenements, creation of 1000 job opportunities, improvement/provision of infrastructure in Kashmir Valley for facilitating the return of migrants, health care, provision of soft loans, entrepreneurial development programmes and setting up of 1000 cottage/small scale industries. Necessary action has been initiated to implement the recommendations.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीरी पंडितों का वहां से निकासन, वहां से निकलना और वर्ा 1989-1990 के बीच दो-तीन रातों में जो घटनाएं हुई, वे न केवल दिल दहलाने देने वाली हैं बल्कि यूनाइटेड नेशन्स ने जैसे कहा है कि वहां एथनिक क्लीनजिंग और जेनोसाइड का सबसे बदतरीन तरह का उदाहरण है। पिछले पांच हजार वर्ों में कश्मीरी घाटी कश्मीरी पंडितों से विहीन नहीं हुई थी। जब सिंकदर बुद्ध शिकन या औरंगजेब का राज हुआ था तब भी कश्मीरी पंडित इस प्रकार से वहां से निकलने के लिए मजबूर नहीं हुए थे। अभी वहां से थोड़े से लोगों को छोड़कर पूरी की पूरी कश्मीर घाटी में से कश्मीरी पंडित बाहर निकल आए हैं और जम्मू, दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिवराज पाटिल जी का जवाब सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, जो आंकड़ें दिए हैं, वे आंकड़ें ही सिद्ध करते हैं कि समस्या कितनी भीाण है और उसका हल हम किस प्रकार से कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिक्र किया गया कि 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए एक साल में कश्मीरी पंडितों पर खर्च किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों पर खर्च करने से पहले, मैं यह कहना चाहता हूं पाटिल जी, आम तौर पर यह चर्चा सब जगह है और कश्मीरी पंडितों में भी है कि उनको कश्मीर घाटी में वापस भेजा जाए। और जो सुविधाएं यहां मिल रही हैं या जम्मू में मिल रही हैं, उन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए या सुविधाएं देनी बंद कर दी जाएं क्योंकि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में लौटना है। हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और वे भी चाहते हैं कि वे घाटी में वापस लौटें। लेकिन क्या आज वे वापस जा सकते हैं? वहां आज क्या वातावरण है? पिछले दिनों हुर्रियत के कुछ नेताओं ने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद ऐसा हुआ कि उनमें से कुछ कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौट सÉBÉEå[p3]।

अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले चार आतंकवादी तंजीमों ने खुलेआम घोाणा की है कि वहां कश्मीरी पंडित वापस न आयें, अगर आयेगें तो हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगर कश्मीर पंडित वापस आना चाहते हैं तो उसके लिये चार शर्तें लगाई गई हैं। पहली, कश्मीर में आतंक वादियो द्वारा आजादी की मुहीम चलाये जाने में वे शामिल हों, दूसरी, कश्मीरी पंडित यह कहें कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तीसरी, सेनाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधियां माना जाये और चौथी, अगर कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं तो देश से द्रोह करें और इस्लाम धर्म कबूल करें। इन शर्तों के माने बिना कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौट सकते हैं। ऐसी स्थिति में कश्मीरी पंडितों को वहां मरने के लिये भेजना क्या गृह मंत्री जी के लिये मुनासिब होगा? सरकार की क्या योजना है? सरकार ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कश्मीरी पंडितों के लिये 250 क्वार्टर बनाये जा रहे हैं, जिन पर सरकार 16 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। लगभग 5 लाख कश्मीरी वहां से निकाले गये हैं, क्या इतने लोगों के लिये 250 क्वार्टर पर्याप्त होंगे? क्या वे सुविधायें, जो कश्मीरियों को यहां मिल रही थीं, बंद कर दी जायेंगी? यहां की सुविधाओं को और बढ़ाने की बात की जानी चाहिये थी, न कि उन्हें बंद करने की।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सुामा स्वराज रिपोर्ट का जिक्र किया है जो कश्मीरी पंडितों के अपग्रेडेशन के लिये थी। सरकार बताये कि उक्त रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं, और उन पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? हमारी मांग है कि उस रिपोर्ट पर फौरी तौर से कार्य वाही की जाये। उस रिपोर्ट की ATR सभा के पटल पर रखी जाये। सरकार द्वारा बताया गया है कि कश्मीरियों के लिये 1000 नौकरियों का प्रबंध किया जायेगा। वर्ा 1989-90 में 30 हजार के लगभग कश्मीरी नौकरी में थे जब वे वहां से निकलकर आये। उन 30 हजार में से आज 3 हजार रह गये हैं। या तो कुछ मर गये हैं या कुछ रिटायर हो गये हैं और सरकार कह रही है कि वह 1000 नौकरियो का प्रबंध करेगी, बाकी कश्मीरी पंडित क्या करेंगे? उनकी नौकरियों का क्या होगा? अभी सरकार हीलिंग टच की बात कर रही है। यह हीलिंग टच किनके लिये हैं, - क्या आतंकवादियों के लिये है। आतंकवादियों को हीलिंग टच देने के लिये साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपया प्रतिर्वा खर्च किया जा रहा है परन्तु कश्मीरी पंडितों के लिये सरकार प्रतिर्वा केवल 50 करोड़ रुपये खर्च करती रहेगी और केवल 1000 नौकरियो का प्रबंध करेगी। आतंकवादियों के लिये प्रतिर्वा 24000 नौकरियों का प्रबंध करेगी और कहा जा रहा है कि यदि वे बंदूक छोड़ कर वापस आ जायें तो इतनी नौकरियां देंगे। आतंकवाद छोड़ने के नाम पर उन लोगों को 3 लाख रुपया दिया जा रहा है लेकिन जो लोग आतंकवाद का शिकार हुये हैं,

उनके लिये केवल साल में 50 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। सरकार ने साल में प्रतिमाह 2500-3000 रुपये या अब 3200 रुपये की बात कही है। क्या एक परिवार का गुजारा 3200 रुपये में हो सकता है? मेरी मांग है कि प्रति परिवार कम से कम 5000 रुपये दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीरी पंडितों के लिये एक कठिनाई और आ रही है। जो लोग बीमार होकर आ रहे हैं, उनके लिये कोई मैडिकल क्लेम नहीं है, कोई मैडिकल की व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि कम से कम उन लोगों के लिये मैडिकल इन्श्योरेंस का इंतजाम करना चाहिये ताकि वे लोग ठीक प्रकार से रह सकें। इसके अलावा उनकी जितनी सम्पति थी, उनकी बागात की जितनी लैंड थी, उन पर कब्जा हो गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात का पता तो करें कि कश्मीरी पंडितों की वहां जितनी प्रोपर्टीज थी, मकान, मन्दिर और बागात थे, क्या उन सब पर कब्जा हो गया है? कुछ पर आतंकवादियों ने और कुछ पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, मेरी ऐसी जानकारी है कि जिस सम्पति पर सरकार ने कब्जा किया, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

> "So, all encroachments on Pandits' lands and properties should be removed forthwith. Their properties should be physically held by the Deputy Commissioners as evacuee properties and should be duly notified on the Internet. "

किसी को पता नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है और कोई नहीं बता पा रहा है कि उनकी प्रोपर्टीज पर फलां आदमी ने कब्जा कर लिया है... (व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY(SABARKANTHA) : Sir, he is using the word 'ethnic cleansing'.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मधुसूदन जी, यह आपकी बात सही नहीं है। Mr. Malhotra, I have allowed you.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मधुसूदन जी, यह तरीका ठीक नहीं है।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Here, the same very people stopped us to use these words. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are not to conduct the proceedings[mks4].

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप गुजरात की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे छोड़िये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां जो उनकी जमीनें थीं, उन पर स्कूल बना दिये गये। उन्हें उसका कम्पैनसेशन तो दें, कोई मुआवजा तो दें। उन्हें वहां कोई मुआवजा नहीं मिला। A Tribunal should be set up at Jammu to look into all unresolved cases of encroachments, loss of income and non-payment of legitimate income, share of crop and other dues. All transactions of sale of properties by Kashmiri Pandits should be declared null and void. All cases in which the State Government has wittingly or unwittingly taken over the evacuee property of Pandits for ostensibly public purposes should be revoked. A liberal compensation should be paid to all displaced persons, including agriculturists, traders and the self-employed for the physical, financial and mental suffering undergone by them. The healing touch policy should be extended to Pandits, with a scale of incentives much more liberal than what

has been offered to the militants. The State Government should pass an Ordinance so that the Kashmiri Pandits hold and manage all their places of worship and their properties. इसके बारे में मैं विशेा तौर पर कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर कम से कम दो हजार मंदिर और दूसरे स्थान इस समय आतंकवादियों के कब्जे में हैं या वहां पर कोई और गतिविधियां चल रही हैं। वे सारे मंदिर...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Your Calling Attention is only for financial assistance.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The Kashmiri Pandits should be declared as refugees or internally-displaced persons. Above all, the country should declare and it should be recognised that the Kashmiri Pandits have passed through a holocaust. The country should declare this genocide and ethnic cleansing – I am repeating it - to be an act of national shame. A White Paper should bring out the facts. मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपने जो घो-णाएं की हैं, वे किसी भी तरह से, एक परसैन्ट भी, उनकी समस्याओं को हल नहीं करतीं। इन्हें पूरा करने के लिए, आतंकवादियों और दूसरे लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं आज वहां कश्मीरी पंडितों को दी जानी चाहिए तथा कश्मीर समस्या का कोई भी हल कश्मीरी पंडितों को बीच में लिये बिना नहीं होना चाहिए।

MR. SPEAKER: This is beyond the scope of your Calling Attention.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप वहां हुर्रियत से बातचीत चला रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितो से बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैन्शन फाइनेन्शियल असिस्टैन्स के बारे में है।

श्री मदन लाल शर्मा ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कालिंग अटैन्शन पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस पर आपने भााण नहीं करना है। आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री मदन लाल शर्मा : मैं मल्होत्रा साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने 11 बजे नोटिस दिया है।

श्री मदन लाल शर्मा मैं यह कालिंग अटैन्शन लाने के लिए मल्होत्रा जी का भी धन्यवाद करता हूं।

यदि इस पर हाउस में कोई बहस रखी जाती और सारे हाउस को बोलने का मौका मिलता तो मैम्बर्स अपने-अपने ख्यालात का इजहार करते, लेकिन मैं केवल सप्लीमैन्टरी पूछूंगा। मैं पहले दो-तीन बातों की जानकारी चाहता हूं। जब से कश्मीरी पंडितो का माइग्रेशन हुआ है, वे सारे मेरी कांस्टीटुएंसी में आबाद हुए हैं। मल्होत्रा साहब ने सप्लीमैन्टरी प्रश्न पूछने के बजाय यहां तकरीर की और बहुत सारी बेबुनियाद बातें हाउस में रखीं, जिन्हें क्लियर करना मैं लाजिमी समझता हूं।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह कौन सी बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है। आपकी बात रिकार्ड से बाहर नहीं की गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने कोई बात रिकार्ड से नहीं निकाली है। उनकी बात भी रिकार्ड पर है। वह नहीं मानेंगे, वह अपनी बात बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : मल्होत्रा जी का मुझे ऐहतराम है, वह सीनियर मैम्बर हैं, उन्हें इसका हक पहुंचता है कि जहां कहीं भी ज्यादती होती हैं, उसके बारे में हाउस के अंदर चर्चा की जानी चाहिए और इन्होंने पहले यहां जिस बात की चर्चा की, उससे बात नहीं बनती। कालिंग अटैन्शन में फाइनैन्शियल असिस्टैन्ट के बारे में बात थी, लेकिन इन्होंने कश्मीर को यहां कम्युनलाइज करना चाहा और कहा कि वहां सैकड़ों मंदिरों के ऊपर आज आतंकवादियों का कब्जा है।

MR. SPEAKER: He has gone beyond the scope of the Calling Attention.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will stop this Calling Attention. In his turn, the hon. Minister will reply.

… (*Interruptions*)

श्री मदन लाल शर्मा : मल्होत्रा साहब, अगर ऐसे मंदिरों के नाम बता दें और यह बात साबित कर दें तो मैं आज ही लोक सभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां 12 सौ मंदिर तोड़े गये, यह होम मिनिस्टर साहब का जवाब है।...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : आपके समय में जब गवर्नर साहब की वहां हुकूमत थी, तो आपके दौरे हुकूमत में भी कश्मीरी माइग्रेन्ट्स परेशानियों का सामना करते रहे। आपने उनके लिये क्या किया, मैं यह भी जानना चाहता हूं।

MR. SPEAKER: I am standing and you are going on speaking. You should address the Chair.

… (*Interruptions*[R5])

MR. SPEAKER: आप उन्हें छोड़िये, यह बहुत अहम मुद्दा है। I know it is a very important issue. I have come to learn that they are mostly from your constituency. Therefore, put a question that will help them. Hon. Minister is there, he will reply to it.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी मदद की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे माफ करें, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि आज तक वादी के अंदर कोई ऐसा मंदिर नहीं, जिस पर उग्रवादियों का कब्ज़ा हो। दूसरा, इन्होंने यह कह दिया कि मौजूदा यूपीए सरकार को एक साल और चौदह महीने हो गए, इस दौरान तीन बार माननीय प्रधान मंत्री जी कश्मीर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने जो पैकेज कश्मीर को दिया, उसके अंदर कश्मीरी माइग्रैन्ट्स के लिए क्या कहा, इन्होंने वे आंकड़े भी बताए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसका ज़िक्र किया। लेकिन मैं अपनी सरकार, प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का मशकूर हूं ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: He has gone much beyond the Calling Attention. I have allowed because it is a sensitive matter. आप शांत रहिये।

...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : मैं प्रधान मंत्री जी का मशकूर हूं कि न सिर्फ उन्होंने यह वादा किया कि उन्हें वापस लाने के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे, बल्कि जो उनके माइग्रैन्ट क्वार्टर्स यहां खस्ता हालत में हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए और जम्मू शहर के अंदर जहां जहां वे कैम्पों में आबाद हैं, वहां एडीशनल एकोमोडेशन बनाने का भी वादा किया है। इससे पहले जब मल्होत्रा जी की पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो उन छः सालों में कश्मीरी माइग्रैन्ट्स की बेहतरी और बहबूदी के लिए कौन से इकदामात उठाए गए? आज ये कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत खस्ता है। ...(व्यवधान)

मैं ऑनरेबल गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जम्मू में कश्मीरी माइग्रैन्ट्स के लिए जो एडीशनल एकोमोडेशन बनाने की बात कही थी, वह कब तक तैयार हो जाएगी और उसका फायदा उन लोगों को कब तक मिलेगा? इसके साथ ही ये बड़ी चिन्ता करते हैं। बॉर्डर के माइग्रैन्ट्स भी आए थे, वे सात साल तबाह और बरबाद हुए और अभी हमारी सरकार ने 78 करोड़ रुपये का पैकेज उन्के लिए दिया। आपको उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। आप हाउस को मिसलीड करके गलत जानकारी इस सदन में देने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: If we go beyond, then this happens. It is because it is a sensitive matter, I did not stop you Malhotraji but naturally these things are beyond the scope. यह भी बियॉन्ड द स्कोप ही था।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : श्रीमन्, ऐसा बताया जाता है कि यहां जो प्रश्न उठे हैं, 1989-90 में उत्पन्न हुए, इस तिथि को याद रखना बहुत उपयुक्त होगा। सम्माननीय सदस्य मल्होत्रा जी की ओर से बहुत सारे प्रश्न उपस्थित किये गये हैं। मैं उन सबके जवाब यहां दे सकूंगा या नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद में जो लिस्ट पढ़ी है, वह पूरी ध्यान में रखकर, उसका उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि वह लिस्ट अगर मेरे पास दे दें, तो मैं लिखित रूप से उसके उत्तर भेज दूंगा। बाकी जो प्रश्न अहम उठाए गए हैं, उनके बारे में सदन में जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं।

पहला सवाल यह है कि जो उधर से दिल्ली या दूसरे प्रांतों में आए हुए लोग हैं, कश्मीर से निकलकर जम्मू में गए हुए लोग हैं, क्या हम उनकी सुविधाएं बंद करने जा रहे हैं? यहां ऐसा कहा गया कि हम वे सुविधाएं बंद करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से सुविधाएं बंद करना मुश्किल है, इस प्रकार सुविधाएँ बंद नहीं की जा सकतीं। आज जबकि वे यहां रह रहे हैं, एकदम उनकी सुविधा बंद करके उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुविधा बंद करने का तो सवाल ही यहां नहीं उठाÉÉ[h6]।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें और सभी लोगों को बहुत खुशी होगी कि वे लोग वापिस अपने घर जा सके, अपने खेतों में, अपनी दुकानों पर या अपने उद्योग-धंधों में वापिस जा सकें, लेकिन उनको जाने से रोकने का, उन्हें मजबूर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा। यहां बताया गया है कि बहुत से लोग, करीब तीन सौ लोग नौकरियां छोड़ कर यहां आए हैं और जो आएं हैं वे सभी के सभी नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपना उद्योग, अपनी दुकान और अपना प्रोफेशन चलाकर अपनी खुद की मदद करते हैं। हमारी सरकार का और जम्मू-कश्मीर की सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को जिस प्रकार की मदद दी जानी जरूरी है, उन्हें दी जाए। कश्मीर से जो लोग जम्मू गए हैं, वहां पर दुकान, उद्योग और प्रोफेशन चलाने के लिए गए हैं या और कोई दूसरा काम करने के लिए गए हैं, उन्हें मदद देने का केंद्र सरकार का और जम्मू-कश्मीर की सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा?

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं अभी इस बात पर आता हूं। जम्मू कश्मीर राज्य को आर्थिक दृटि से मजबूत बनाने के लिए, माली हालत सुधारने के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की मदद देने की बात कही गई है। जहां तक नौकरी देने की बात है, उसके लिए एक तरीका यह है कि एक विशेा स्कीम बनाकर उन्हें नौकरी दी जाए। दूसरा तरीका यह है कि प्लानिंग की डैवलपमेंटल एक्टीविटी शुरू से करके, उन्हें नौकरियां दी जा सकती हैं।

हम मानते हैं कि जब एक हजार लोगों को हमें काम देना है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हजार नौकरियां निकाल कर काम देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी जगह पर जो नौकरियां निकलती हैं, उससे उन्हें वंचित किया जाएगा। अगर 24 हजार करोड़ रुपए डैवलपमेंट के लिए खर्च हो रहे हैं, तो उससे एम्प्लायमेंट पोटेंशियल जरूर क्रियेट होगा और एम्प्लायेमेंट पोटेंशियल उन लोगों को भी दिया जाएगा, जिन्हें उसकी जरूरत होती है, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए।

अभी यह कहा गया है कि हम हीलिंग टच दे रहे हैं और तीन लाख रुपए आतंकवादियों को दे रहे हैं। हम आतंकवादियों और कश्मीरी पंडितों की तुलना नहीं करना चाहते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते कि आतंकवादी को यह दे रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों को यह देंगे। यह गलत बात है। आतंकवादी अलग हैं और कश्मीरी पंडित अलग हैं। कुछ लोग अपने आइडियल से आतंकवादी बने हैं, कुछ नौकरियां नहीं मिलने से और कुछ अपने मन से आतंकवादी बन गए हैं। अब जबकि वे वापस आना चाहते हैं तो सरकार ऐसा सोच रही है कि एक बार वापस आने के बाद वे फिर से आतंकवादी न बने, इसलिए उन्हें किसी एक क्षेत्र में ट्रेनिंग दे कर काम में लगाया जाए और तीन लाख या साढ़े तीन लाख रुपए की रकम इसीलिए दी जा रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा जी, आप बैठ जाइए। पहले आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कोई आतंकवादी एक वैपन लेकर आ रहा है, विस्फोटक उसके पास है और वह उसे डिलीवर कर रहा है - ये सभी अलग बातें हैं। इस आधार पर मदद की जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां कहा गया है कि पंडितों के घर और जमीन को किसी दूसरे को दिया जा रहा है - यह गलत बात है। मैं वहां गया था और उनके प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। यहां भी उनके प्रतिनिधि मिलते रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि हम किसी विशेा पार्टी के लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी पंडित से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं - ये बातें सही नहीं हैं। मैं कई बार उन लोगों से मिल चुका हूं और कश्मीर में भी मिला हूं। उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार भी होता रहता है और जो भी उनकी मुश्किलें हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश हम करते रहे हैं। हमारी सरकार की नीति यह है कि जो भी कश्मीर से आकर हमसे बात करना चाहता है, तो हम उन्हें सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं[i7]। जो वे करना चाहते हैं, वही हम करना चाहेंगे, उन्हें हम मदद करना चाहेंगे। किसी से बात करने को हम मना नहीं करते हैं। आपका ऐसा कहना कि कश्मीर के पंडितों से हम मिलने के लिए तैयार नहीं है, गलत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो जमीन या घर है, यदि उसे किसी ने किसी दूसरे को बेचा है, वहां उस बारे में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी वजह से ओनरशिप या पजैशन ट्रांसफर हुआ है, तो वह नहीं माना जाएगा। उसके लिए, खासकर वहां की सरकार ने कानून बनाया है कि जो लोग अपना घर या जमीन कश्मीर में छोड़कर जम्मू गए हैं या जम्मू से दिल्ली गए हैं, उनके घरों का अगर ट्रांसफर होगा, तो वह ट्रांसफर इल्लीगल माना जाएगा। ऐसा कानून पहले सो बना हुआ है। उस कानून में यह स्पट किया गया है कि ऐसा ट्रांजैक्शन तब तक लीगल और कानूनी वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि दूसरा नोटीफिकेशन नहीं हो जाता। सरकार ने यह भी स्पट किया है कि किसी जमीन पर, जो वहां के रहने वाले किसी पंडित की है या किसी और की है, उसे लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत ही एक्वायर किया जा सकता है और कंपैन्सेशन देकर ही एक्वायर किया जा सकता है। बिना कंपैन्सेशन दिए उसे एक्वायर नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में खड़ा होकर बता रहा हूं कि किसी की जमीन यदि भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर की सरकार ने किसी काम के लिए ली है, और कंपैन्सेशन नहीं दिया है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसे कंपैन्सेशन दिलाने का काम करूंगा। यह कानून है, कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर की सरकार ...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उसे कैसे पता लगेगा कि उसकी जमीन बेच दी गई है। आप ऐसी सारी जानकारियों को इंटरनैट पर उपलब्ध करा दें। उसे पता ही नहीं लगता कि उसकी जमीन बेच दी गई है। उसे दूसरे लोग बताते हैं, तब पता लगता है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Malhotraji, please allow him to complete.

Mr. Minister, you need not answer to everything. You go ahead.

श्री शिवराज वि. पाटिल : महोदय, यह कॉलिंग-अटेंशन मोशन है। इस पर मुझे केवल एक क्वैरी का जवाब देना है, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति की जमीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने या भारत सरकार ने हस्तगत की है, एक्वायर की है, तो उसका कंपैन्सेशन देने की जिम्मेदारी हमारी है। इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी जमीन किसी सरकार ने बिना मुआवजा दिए ले ली हो, वह कोर्ट में जाकर भी मुआवजा मांग सकता है। इतना ही नहीं है, एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स के खिलाफ, यदि जमीन ली गई है, तो सरकार के ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको इसे इस प्रकार नहीं उठाना चाहिए कि ऐसी जमीन ली जा रही है।

महोदय, आपने पूछा कि जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है? मेरे पास यह एक्शन टेकन रिपोर्ट है। सुश्री सुामा चौधरी की रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन सबका जवाब देना, तो मेरे लिए यहां मुश्किल होगा। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें लिखित रूप में उत्तर भेज दूंगा। …(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप रिपोर्ट को टेबल पर ले कर दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटिल : ऐसा नहीं है। …(व्यवधान) आप हर बात पर यहां उठ कर बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Malhotra, since you raised it, he said, he will make it available.

… (*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is very irregular.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : No, it is not irregular.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: It is irregular. You cannot just ask it in one sentence.

MR. SPEAKER: Malhotraji, you know the rules very well. You are a senior Member. He has not read from it. Unless he reads from it, I cannot ask him to lay it on the Table of the House.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, let him lay it on the Table of the House.

MR. SPEAKER: He has said 'no'.

Mr. Minister, you go on.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am disturbed by the hon. Member.

MR. SPEAKER: You address me.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, he has raised many questions. I am expected to reply to 'a query'. I am replying to all the points that he has raised and not only that, I am saying that in writing also I will give a reply to him.

MR. SPEAKER: What you are bound to reply is with regard to the financial assistance being given to them.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Now, he is asking me to lay it on the Table of the House. This is not correct.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What is confidential about it?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: There is nothing confidential about it. There is something called rules and procedures. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Malhotraji, this cannot go on like this. I am sorry. You know the procedure very well. We are following the rules very strictly. I have allowed you to speak for a long time.

Mr. Minister, you address the Chair.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, one thing which has to be borne in mind by the hon. Member is that for six years they were in power[k8].

When [r9]they were in power for six years, the people would like to know what did they do for them. When they sit on the Ruling Benches, they do not do anything, and when they go to the Opposition Benches, they start criticising. We would like to know what was done in six years' time. If this matter is raised with an intention to help the people, to help our brothers and sisters who are suffering in certain circumstances, we have no objection… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing else will be recorded, except the submission by the hon. Minister.

*(Interruptions)**

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am going to say that whatever reasonable suggestions they make, sitting there, we will certainly consider them with a view to help them. But if they are raising it as a political matter in order to malign the Government, sitting here, then they will get a political reply and the political reply is that this is what we have done up to this time. We would be entitled, if not we, others would be entitled, to ask them, what did they do for them in six years' time. Was six-year time not enough for them to do something for them? Let us not play politics with the tragedy with which the people are suffering. Let us do something really to help them and we will certainly do something to help them.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, we are not satisfied with his reply. इन्होंने उनके लिए कम्पन्सेशन बढ़ाने की बात नहीं की है और न ही कोई एश्योरेंस दिया है, इसलिए We are walking out.

.

11.41 hrs.

(At this stage, Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other

hon. Members left the House.)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, allow me to say that so many questions have been asked in one Calling Attention, and they say that so many temples were demolished. This is not a fact. I deny it.

*Not Recorded

11.42 hrs.